न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)

निग/3165/II/15

निगरानी क्रमांक सन् 2015

देवीदीन बल्द स्वामीदीन कुर्मी निवासी ग्राम सड़वाकोल
तहसील गोरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) ---- आवेदक

बनाम

कमलकान्त बल्द दादूराम यादव निवासी ग्राम नॉद
तहसील गोरिहार, जिला छतरपुर (म.प्र.) ---- अनावेदक

निगरानी आदेश विरूद्ध श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय छतरपुर के राजस्व प्रकरण क्रमांक 651/अ–19(4)/07–08 में पारित आदेश दि. 28.05.2015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् जी,

सेवा में आवेदक निम्नलिखित आधारों सहित यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष पेश करता है :–

(1) यह कि, निगरानी का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक के द्वारा भूमि आराजी नं. 776 रकवा 11.355 हैक्टेयर में से 2.000 हैक्टेयर भूमि स्थित मौजा बिजासन तहसील गोरिहार की भूमि पर वर्ष 1982–83 से लेकर आज तक काबिज चला रहा रहा है आवेदक भूमिहीन है । दखिल रहित विशेष उपबन्ध 1984 के तहत विधिवत् आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र न्यायालय नायब तेहसीलदार उप–तेहसील सरवई के न्यायालय में पेश किया जो पंजीबद्ध होकर राजस्व प्रकरण क्रमांक 218/अ–19(4)/86–87 में दर्ज कर इश्तहार का प्रकाशन किया, कोई आपत्ति नहीं आई तथा विधिवत् हल्का पटवारी से स्थल जॉच प्रतिवेदन मय खसरा नकल के प्राप्त कर समस्त साक्ष्य लेकर दिनांक 19.05.1987 को अंतिम आदेश पारित किया इसके पश्चात् आवेदक निर्विवाद रूप से वाद भूमि पर काबिज चला रहा था । आदेश के 20 वर्ष बाद निगरानी आवेदन

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. -3165–दो–.2015 **जिला छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश देवीदीन / कमलकान्त	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9 –02–2016	यह निगनारी अपर कलेक्टर छतरपुर के प्रकरण कमांक 652 / अ–19(4) / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 28.05.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के आधार पर ग्राह्यता पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया। निगरानी मेमो का अवलोकन किया गया जिसमें मुख्य रूप से यह अंकित किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 20 वर्ष बाद प्रकरण को निगरानी में लेकर आवेदक को प्राप्त पट्टे को निरस्त किया गया है जो उचित नहीं है। मेरे द्वारा निगरानी मेमों में अंकित अन्य तथ्यों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 28.05.2015 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदक के पक्ष में पटवारी द्वारा जारी खसरा वर्ष 82–83 एवं 86–87 की नकल में भूमि ग्राम बिजासन खसरा कमांक 776 की नोइयत अंकित नहीं की गयी जबकि उक्त प्रश्नाधीन भूमि की नकल जब जिला कार्यालय से अपर कलेक्टर द्वारा प्राप्त की गयी तो उक्त भूमि की नोइयत वर्ष 82–83 एवं 86–87 में चरनोई निस्तार अंकित होना पाग्रा गया है इसके साथ ही उनके द्वारा अपने आक्षेपित आदेश में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक ग्राम सडवाकोल का निवासी है और भूमि ग्राम बिजासन की है। ऐसी स्थिति में चरनोई की भूमि एवं दूसरे ग्राम की भूमि आबंटित नही की जा सकती है। उपरोक्त आधारों पर नायब तहसीलदार के प्रकरण कमांक 218 / अ–19(4) / 86–87 में पारित आदेश दिनांक 19.5.1987 को अपर कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जाकर भूमि को शासकीय चरनोई दर्ज करने के आदेश दिए गये। विचारोपरांत मैं अपर कलेक्टर के आदेश दिनांक 28.5.2015 से	

प्रकरण कमांक निग. -3165–दो–.2015 **जिला छतरपुर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश देवीदीन / कमलकान्त	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

सहमत हूँ एवं प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा निकाले गये निष्कर्ष उचित है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो।

9.2.16

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य